

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 22 जनवरी, 2018 (माघ 2, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.210-राऊ से निर्वाचित सदस्य, श्री जितू पटवारी को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

जेल अधीक्षक, जिला जेल इन्दौर की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 15.01.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 17.01.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107, 116 (3) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि दिनांक 15.01.2018 को 3.02 बजे मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री जितू पटवारी को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री जितू पटवारी को दिनांक 16.01.2018 को दोपहर 12.45 बजे को न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट मल्हारगंज थाना भंवरकुआ इन्दौर के द्वारा रिहा किया गया. ”

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.